न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19 / 296

अब्दुल रहनमान आयु 71 वर्ष आत्मज श्री अजमशाह जाति मुसलमान निवासी अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश नामधराणी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 11.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, हिण्डोली ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम 1968 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि अब्दुल रहमान आत्मज अजमशाह को ग्राम अलोद की आराजी खसरा नम्बर 1014 रकबा 05 बिस्वा भूमि दिनांक 13.07.1981 को कीमतन आवंटित हुई थी । आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं है तथा आवंटी द्वारा आवंटन की बकाया राशि मय ब्याज के जमा नहीं करवायी गई है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है । अतः आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 13.07.1981 निरस्त फरमाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.05.2016 के द्वारा अप्रार्थी आवंटी अब्दुल रहमान के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 13.07.1981 निरस्त कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में

अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 29.01.2019 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित कर दिया ।

4. न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने प्ररकण पुनः दर्ज रजिस्टर किया । तत्पश्चात् अप्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 एवं 151 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी को आवंटित हुई थी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.05.2016 से आवंटन को निरस्त कर दिया और वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया । जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 29.01.2019 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2016 को निरस्त कर दिया । इस कारण इंतकाल सख्या 1906 दिनांक 14.09.2016 को रद्द किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में निर्णय से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल की जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.05.2019 के द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 एवं 151 सीपीसी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2019 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जिस आदेश से वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज किया गया है वह आदेश माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है । धारा 144 सीसीपी के अनुसार यदि कोई निर्णय निरस्त कर दिया गया है और निर्णय के अधीन यदि कोई कार्यवाही कर दी गई है तो निर्णय निरस्त होने पर निर्णय से पूर्व की स्थित बहाल किया जाना आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय ने यह कथन करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया है कि अपीलान्ट को इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है जबकि भूमि के सिवायचक दर्ज रहने पर अपीलान्ट के विरूद्ध ट्रेसपासर की कार्यवाही की जा सकती है। सिवायचक भूमि होने पर अन्य कोई व्यक्ति ताकत के बल पर अपीलान्ट की भूमि पर कब्जा कर सकता है । अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को आवंटित आराजी को निरस्त करने के लिए परीक्षण न्यायालय में कार्यवाही पेश की थी जिसे विधि –विरूद्ध रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज करने और कब्जा राज लेने के आदेश पारित किये । अपीलान्ट के द्वारा इस निर्णय के खिलाफ इस न्यायालय में अपील पेश की थी और इस न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.01.2019 से परीक्षण न्यायालय के निर्णय

को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए प्रतिप्रेषित किया । इसके उपरान्त एक प्रार्थना पत्र अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 27.03.2019 को धारा 144 एवं 151 सीपीसी के तहत पेश कर यह कथन किया गया कि चूँकि दिनांक 31.05.2016 का आदेश निरस्त हो चुका है । अतः आराजी पुनः अपीलान्ट प्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज की जावे । दिनांक 31.05.2016 के पूर्व की स्थिति राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया है । चूंकि वह आदेश जिससे आराजी सिवायचक दर्ज की गई है वो निरस्त हो चुका है इस कारण धारा 144 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार इस निर्णय से पूर्व की स्थिति को कायम करना अनिवार्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनरांक 08.05.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2019 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 एवं 151 सीपीसी पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय से यह कथन करते हुए अस्वीकार किया है कि भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने में अप्रार्थी को कोई नुकसान नहीं होता है । परीक्षण न्यायालय के द्वारा दिनांक 31.05.2016 के आदेश से वादग्रस्त आराजी के आवंटन को निरस्त कर आराजी को सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं और परीक्षण न्यायालय का आदेश इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.01.2019 से निरस्त किया जा चुका है और प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है । ऐसी स्थिति में धारा 144 सीपीसी की प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31.05.2016 के पूर्व की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड को बहाल किया जाना विधिक रूप से उचित है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण में दिनांक 31.05.2016 से पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति को बहाल रखे जाने का आदेश पारित किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2019 की पालना में पत्रावली प्राप्ति के 03 माह के भीतर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 28.01.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा